

प्रेस नोट दिनांक 27.05.2025

थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

- ◆ चन्दौली पुलिस द्वारा गोतस्करी के विरुद्ध निरन्तर कार्यवाही जारी।
- ◆ थाना सैयदराजा पुलिस द्वारा 06 पिकअप/मौजिक वाहन से कुल 15 राशि गोवंश बरामद करते हुए 15 शातिर गोतस्करों को किया गया गिरफ्तार।

श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री वैभव कृष्ण पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी के निर्देशन में आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा गोतस्करी व गोतस्करी में संलिप्त गिरोह के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनंत चन्द्रशेखर (आईपीएस) व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 26.05.2025 व दिनांक 27.05.2025 को 00निरो दिनेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान मुख्य बिरक्ती की सूचना के आधार पर एनएच 02 हाइवे पर स्थित ग्राम बरठी कमरौर ओवरब्रीज उत्तरी लेन पूर्वी छोर से कुल 06 मैजिक/पिकव वाहन नं. UP62CT2876, UP67AT9320, UP44AT1232, UP62CT7312, UP44AT0741, UP44AT0731 से कुल 15 राशि गोवंश गाय को बरामद करते हुए 15 शातिर गोतस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 129/25 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु कुरता अधि. तथा मु.अ.सं. 130/25 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.वाहन संख्या UP44AT1232 के वाहन स्वामी रामदेव यादव पुत्र अमरदेव यादव निवासी ग्राम गोपालपुर थाना कादीपुर जिला सुल्तानपुर उम्र 31 वर्ष
- 2.चन्दीरक यादव पुत्र सम्मन यादव निवासी ग्राम टिकरपर थाना वजीरगंज जिला गया बिहार उम्र 55 वर्ष
- 3.सूरज कुमार पुत्र भारत राम निवासी ग्राम सरायरानी थाना कादीपुर जिला सुल्तानपुर उम्र 25 वर्ष
- 4.अरविन्द यादव पुत्र उदयभान यादव निवासी लखनूडीह थाना आसपुर देवसरा जिला प्रतापगढ़ उम्र 26 वर्ष
- 5.उपेन्द्र यादव पुत्र श्री रामजी यादव निवासी ग्राम चौकसिल जिला गया बिहार उम्र 38 वर्ष
- 6.कैलू यादव पुत्र भागवत यादव निवासी ग्राम कड्यासर थाना मोफसिल जिला गया बिहार उम्र 55 वर्ष
- 7.वाहन संख्या UP44AT0741 के वाहन स्वामी रामकुमार पुत्र नन्दलाल सिंह निवासी ग्राम राइबीगो थाना कादीपुर जिला सुल्तानपुर उम्र 35 वर्ष
- 8.रवीन्द्र कुमार पुत्र देवन यादव निवासी ग्राम हरलीखुर्द थाना बोधगया जिला गया बिहार उम्र 23 वर्ष
- 9.देवन यादव पुत्र स्व0 सुक्कन यादव निवासी ग्राम हरलीखुर्द थाना बोधगया जिला बिहार
- 10.इबरार अहमद पुत्र रफीक अहमद निवासी ग्राम बझउवा गोपालपुर थाना कादीपुर जनपद सुल्तानपुर उम्र 51 वर्ष
- 11.सुन्दर यादव पुत्र अर्जुन यादव निवासी ग्राम बुधवल थाना वजीरगंज जिला गया बिहार उम्र करीब 40 वर्ष

- 12.मनोज कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 राधेश्याम निवासी ग्राम कलीचाबाद थाना लाइनबाजार जिला जौनपुर
- 13.मुकेश पाण्डेय पुत्र उमाशंकर पाण्डेय निवासी ग्राम किरतापुर थाना जकराबाद जिला जौनपुर
- 14.पंकज तिवारी पुत्र शिवमुनी तिवारी उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम मोकरी थाना भभूआ जिला भभूआ कैमूर (बिहार)
- 15.कृष्णानन्द तिवारी पुत्र जयद्रत तिवारी ग्राम सौखरा थाना चाँद जिला कैमूर भभूआ बिहार

गिरफ्तारी व बरादगी का स्थान व समय-

एनएच 02 हाइवे पर स्थित ग्राम बरठी कमरौर ओवरब्रीज उत्तरी लेन पूर्वी छोर
दिनांक 26.05.2025 को समय करीब 17.40 बजे व दिनांक 27.05.2025 समय 6.20 बजे

बरामदगी का विवरण:-

1. 06 पिकअप/मौजिक वाहन क्रमशः UP62CT2876 , UP67AT9320, UP44AT1232 , UP62CT7312 , UP44AT0741 , UP44AT0731
2. 15 राशि जीवित गोवंश गाय
3. 11 मोबाइल एन्ड्रायड मोबाइल
4. 49200 नगदी रुपया

बरामदगी में पुलिस टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय- थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
2. उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह थाना सैयदराजा चन्दौली ।
3. हे0का0 रूपनारायण सिंह थाना सैयदराजा चन्दौली
4. हे0का0 विजय कुमार थाना सैयदराजा चन्दौली
5. का0 अरविन्द मौर्या थाना सैयदराजा चन्दौली
6. का0 विष्णुदत्त प्रजापति थाना सैयदराजा चन्दौली
7. का0 संतोष कुमार थाना सैयदराजा चन्दौली

थाना बलुआ जनपद चन्दौली

- □ थाना बलुआ पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास करनें वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
- □ गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध असलहा, 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस किया गया बरामद

पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांगे द्वारा अपराध एवं आपराधियों के विरुद्ध अंकुश लगाने हेतु वांछित अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर (आईपीएस) व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बलुआ के नेतृत्व में थाना बलुआ पुलिस द्वारा मु0अ0स0 126/2025 धारा 115(2), 109(1), 76 BNS के वांछित हत्या का प्रयास करनें वाला अभियुक्त 1. सुनील यादव पुत्र नन्हकू यादव निवासी ग्राम सहेपुर (मडई) थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र 44 वर्ष को मलहिया शिव मंदिर से दिनांक 26.05.2025 समय 21.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध असलहा, 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण— दिनांक 24.05.2025 को थाना बलुआ पर वादी पवन यादव पुत्र शोभनाथ यादव ग्रा0 मडई सहेपुर थाना बलुआ जिला चन्दौली द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 24.05.25 को वादी के पडोस के ही सुनील पुत्र नन्हकू यादव, सुभम यादव पुत्र सुनील यादव व नन्हकू यादव पुत्र राम प्रसाद निवासी-उपरोक्त एक राय होकर वादी के घर आये। तभी सुनील द्वारा असलहा से वादी पर हमला कर दिया गया। तभी पीछे से सुभम ने धारदार हथियार से पीठ में मारा फिर असलहा की बट्टे से सिर पर मारा फिर नीचे गिराकर मारा पीटा बीच बचाव करने आयी पत्नी को भी मारा पीटा उसके कपड़ा फाड़ दिया। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बलुआ पर मु0अ0स0 126/2025 धारा 115(2),118(1),109(1),76 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1. सुनील यादव पुत्र नन्हकू यादव निवासी ग्राम सहेपुर (मडई) थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र 44 वर्ष

बरामदगी विवरण-

01 अवैध असलहा, 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस

आपराधिक इतिहास अभियुक्त-

1. मु0अ0स0-126/2025 धारा 115(2), 109(1), 76 BNS व 3/25 आर्स एक्ट

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. नि0 सलिल स्वरूप आनन्द थाना बलुआ जनपद चन्दौली
2. त0नि0 तरुण पाण्डेय थाना बलुआ जनपद चन्दौली
3. त0नि0 अश्वनी राय थाना बलुआ जनपद चन्दौली
4. हे0का0 पवन कुमार थाना बलुआ जनपद चन्दौली
5. का0 सुग्रीव चौरसिया थाना बलुआ जनपद चन्दौली
6. का0 रमेश चौहान थाना बलुआ जनपद चन्दौली

थाना धीना जनपद चन्दौली

◊ थाना धीना पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को 01 नाजायज तमंचा, 01 जिंदा कारतूस व एक मोटरसाइकिल स्पेलेण्डर प्लस के साथ किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एव सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अनन्त चन्द्रशेखर (आईपीएस) व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक धीना रमेश यादव के कुशल नेतृत्व में थाना धीना पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01 शातिर अभियुक्त मिथिलेश यादव उर्फ गोलू पुत्र ईश्वरदेव यादव निवासी ग्राम – उर्फ चकिया चक अब्दुल हकीम थाना जमनिया जनपद गाजीपुर हाल पता- ग्राम मनीपट्टी थाना धानापुर जनपद चन्दौली को दिनांक 26.05.2025 को समय करीब 20.00 बजे नाजायज तमंचा, 01 कारतूस व एक मोटरसाइकिल स्पेलेण्डर प्लस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 53/ 2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम - मिथिलेश यादव उर्फ गोलू पुत्र ईश्वरदेव यादव निवासी ग्राम – उर्फ चकिया चक अब्दुल हकीम थाना – जमनिया जनपद गाजीपुर हालपता ग्राम मनीपट्टी थाना धानापुर जनपद चन्दौली के पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम पता-

1.मिथिलेश यादव उर्फ गोलू पुत्र ईश्वरदेव यादव निवासी ग्राम – उर्फ चकिया चक अब्दुल हकीम थाना जमनिया जनपद गाजीपुर हालपता ग्राम मनीपट्टी थाना धानापुर जनपद चन्दौली उम्र 21 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

01 नाजायज तमंचा .315 बोर

01 जिंदा कारतूस .315 बोर

01 मोटरसाइकिल स्पेलेण्डर प्लस नम्बर नम्बर UP61BJ-0105

गिरफ्तारी करने वाली टीम के सदस्य-

1.निरी0 रमेश यादव प्रभारी निरीक्षक थाना धीना जनपद चन्दौली

2.30नि0 सुरेश प्रकाश सिंह थाना धीना जनपद चन्दौली

3.हे0का0 सुरेन्द्र कुमार थाना धीना जनपद चन्दौली

4.हे0का0 मुकेश निषाद थाना धीना जनपद चन्दौली।

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

चन्दौली पुलिस द्वारा अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध लगातार कार्यवाही जारी।

थाना अलीनगर पुलिस द्वारा 3 कार से 43 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए 06 अभियुक्त किया गया गिरफ्तार।

43 पेटी (जिसमें 750 एम.एल. की 33 पेटी तथा 375 एम.एल. की 10 पेटी) से कुल 387 लीटर अवैध शराब बरामद

बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 5.00 लाख रुपये।

श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री वैभव कृष्ण पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी के निर्देशन में आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा शराब तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अननन्त चन्द्रशेखर (आईपीएस) व क्षेत्राधिकारी PDDU नगर राजीव सिसोदिया के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा आज दिनांक 26.05.2025 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर आलमपुर अन्डर पास के उपर जी टी रोड के दक्षिण तरफ के पास से समय करीब 22.40 बजे चेकिंग के दौरान 3 कार (वाहन संख्या BR44U2727 स्विफ्ट कार जिसका नम्बर प्लेट पर अंकित नम्बर गलत पाया गया चेचिस नम्बर व इंजन नम्बर से से ई-चालान से मिलान करने पर सही नम्बर RJ02CG2000 पाया गया, वाहन संख्या-HR26CQ7559 स्विफ्ट कार, वाहन BR07BD8917 XUV3XO कार) से कुल 43 पेटी (जिसमें 750 एम.एल. की 33 पेटी तथा 375 एम.एल. की 10 पेटी) रायल स्टैज व मैजिक मूमेन्ट मार्का की अवैध शराब के साथ 6 तस्कर 1. सोनू सिंह पुत्र कौशल कुमार सिंह निवासी खानपुर दोखटा थाना शिवाजी नगर जनपद समस्तीपुर बिहार, 2. शास्वत कुमार पुत्र ललित नरायण दास निवासी नील कण्ठ कालोनी सेक्टर 02 आशियाना नगर थाना राजीव नगर जिला पटना बिहार, 3. आनन्द प्रकाश पुत्र बलबीर निवासी ग्राम खोरड़ा थाना बाढणा जिला चरखी दादरी हरियाणा, 4. आर्यन कुमार पाण्डेय पुत्र श्री मुन्ना पाण्डेय निवासी ग्राम इन्द्रपुरी रोड नं 10 थाना पाटिलपुर जनपद पटना बिहार, 5. प्रकाश गौरव पुत्र शिवशंकर सिंह निवासी ग्राम धीवाही पोस्ट परसा थाना शिवाजीनगर जनपद समस्तीपुर बिहार, 6. सुभाष कुमार पुत्र रामगोविन्द मण्डल निवासी ग्राम सरहिला थाना शिवाजीनगर जिला समस्तीपुर बिहार उम्र करीब 30 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु0अ0स0 172/2025 धारा 60/63 आबकारी अधि0 व 319(2), 318(4), 336(3), 338, 3(5) बीएनएस थाना अलीनगर जनपद चन्दौली का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—

1. सोनू सिंह पुत्र कौशल कुमार सिंह निवासी खानपुर दोखटा थाना शिवाजी नगर जनपद समस्तीपुर बिहार
2. शास्वत कुमार पुत्र ललित नरायण दास निवासी नील कण्ठ कालोनी सेक्टर 02 आशियाना नगर थाना राजीव नगर जिला पटना बिहार
3. आनन्द प्रकाश पुत्र बलबीर निवासी ग्राम खोरड़ा थाना बाढणा जिला चरखी दादरी हरियाणा
4. आर्यन कुमार पाण्डेय पुत्र श्री मुन्ना पाण्डेय निवासी ग्राम इन्द्रपुरी रोड नं 10 थाना पाटिलपुर जनपद पटना बिहार

5. प्रकाश गौरव पुत्र शिवशंकर सिंह निवासी ग्राम धीवाही पोस्ट परसा थाना शिवाजीनगर जनपद समस्तीपुर बिहार
6. सुभाष कुमार पुत्र रामगोविन्द मण्डल निवासी ग्राम सरहिला थाना शिवाजीनगर जिला समस्तीपुर बिहार उम्र करीब 30 वर्ष

पूछताछ अभियुक्तगण- गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि यह शराब हरियाणा से एक कन्टेनर में टेगरा मोड़ पर एक व्यक्ति लेकर आता है। जिससे हमलोग लेकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में बिहार ले जाते हैं और उसे अधिक दाम पर बेच देते हैं जो भी लाभ मिलता है उसको हमलोग आपस में बाट लेते हैं। तथा उसी से अपना तथा अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं।

पंजीकृत अभियोग का विवरण –

मु0अ0स0 172/2025 धारा 60/63 आबकारी एक्ट व 319(2), 318(4), 336(3), 338, 3(5) बीएनएस थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

गिरफ्तार अभियुक्तों के अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

विवरण बरामदगी -

- 1.वाहन संख्या BR44U2727 स्विफ्ट कार फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई
- 2.वाहन संख्या-HR26CQ7559 स्विफ्ट कार
- 3.वाहन संख्या BR07BD8917 XUV3XO

नाजायज अंग्रेजी शराब कुल 43 पेटी अवैध शराब (जिसमें 750 एम.एल. की 33 पेटी तथा 375 एम.एल. की 10 पेटी) रायल स्टैग व मैजिक मुमेन्ट मार्का अवैध अंग्रेजी नाजायज शराब सेल फार हरियाणा कुल 387 लीटर कीमत लगभग 5 लाख रुपया बरामद हुआ।

गिरफ्तारी / बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।
उ0नि0 अनिल कुमार यादव चौकी प्रभारी आलूमिल थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।
उ0नि0 अनन्त कुमार भार्गव चौकी प्रभारी लौदा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।
हे0का0 रोशन यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।
हे0का0 योगेन्द्र यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।
का0 राहुल खरवार थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।
का0 दीपक साहू थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।